जनसंघ

एक मात्र

विकल्प

चुनाव घोषणा पत्र

१९७२

भारतीय जनसंघ

राजस्थान

जनसंघ

एक मात्र विकल्प

स्वतंत्रता के बाद पहली बार अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव संसद के चुनावों से पृथक हो रहे हैं। पहली बार, मतदाता को यह अवसर मिला है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग, मुख्य रूप से प्रदेश स्तर की उन समस्याओं को सामने रख कर करे जो जन जीवन के अधिक निकट है और जिनसे उसका सीधा सम्बन्ध है। अतः यही अवसर है जब जनता स्वयं निर्णय करे कि सत्तारूढ दल ने अपने वायदे पूरे किये अथवा नहीं।

सत्तारूढ कांग्रेस विजय और स्थायित्व के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दो में से किसी भी एक मुद्दे पर वह वोट पाने की हकदार नहीं। हाल ही में हमारी जो जीत हुई वह गौरव-पूर्ण राष्ट्रीय विजय थी, जो हमारी बहादुर सेनाओं के कारण संभव हुई। वास्तविकता तो यह है कि नई कांग्रेस ने यदि जनसंघ की बात मानकर ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ही बंगला देश को मान्यता दे दी होती तो बंगला देश में जाति-नाश को रोकने के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना को उसके जमाव और तैयारी से पूर्व परास्त किया जा सकता था। पाकिस्तान से मुक्त कराये गये क्षेत्रों, हर्जाने की वसूली और युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारी रवैये की अनिश्चितता को देखते हुये यह आशंका अब तक बनी हुई है कि चुनाव के बाद कांग्रेस देश को फिर धोखा देगी।

कांग्रेस के दावे

जहां तक स्थायित्व के सम्बन्ध में कांग्रेसी दावे का ताल्लुक है, इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि चौथे आम चुनाव के बाद के डेढ़ वर्ष की अवधि को छोड़ कर पच्चीस वर्ष की अवधि में कांग्रेस को न केवल संसद में वरन् इस प्रदेश में जहां इसे स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो सका, यह सत्तारूढ़ थी। इसके बावजूद भी वास्तविक स्थायित्व स्वप्न ही बना रहा।

सच तो यह है कि पार्टी में फूट और अलगाव के बाद कांग्रेस की राजनीति का समूचा स्वरूप ऐसा रहा कि भारतीय राजनीति में उसमें गंभीर अस्थिरता आई। कांग्रेस दल ने दल-बदल को एक व्यापक व्यवसाय बना दिया। प्रधान मंत्री प्रान्तीय सरकारों को इस मंच से गिराती रहीं कि समूचा तमाशा कठपुतलियों का नाच जैसा प्रतीत हुआ पार्टी के तात्कालिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए राज्यपाल के ऊंचे पद का भी दुरुपयोग किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में संविधान निष्प्राण हो गया है, प्रादेशिक स्वायत्तता एक मजाक बन गई और देश एक दलीय तानाशाही के रास्ते पर धकेला जा रहा है। हमारी लोकतंत्री स्वतंत्रता के रक्षक समाचार-पत्र और न्यायपालिका हैं। लेकिन "प्रतिबद्धता" के नाम पर इन दोनों महान संस्थाओं की स्वतंत्रता को पंगु बनाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए हैं।

इस सत्य को भलीभांति समझ लिया जाना चाहिए कि स्थायित्व स्वयं साध्य नहीं है ऐसा स्थायित्व जो तेजी से आर्थिक विकास करने और सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक नहीं होता दुर्भाग्यपूर्ण गतिरोध का ही कारण बनता है। १९४७ से १९६७ तक के तीस वर्ष में कांग्रेस ने अपने विशाल बहुमत के बावजूद प्रमुखतः भ्रष्टाचार, बर्बादी, बेरोजगारी और अपने आन्तरिक झगड़ों के शर्मनाक प्रदर्शन ही देश को दिये हैं। तेजी से तरक्की के संदर्भ में ही स्थायित्व की सार्थकता है और यह तभी संभव है जब सत्ता ऐसे दल के हाथों में जो आत्मस्फूर्त व अनुशासनबद्ध हो तथा संकल्प एवं लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हो। यह ऐसे गुण हैं जो कांग्रेस के लिए सर्वथा विजातीय हैं। कांग्रेस की तुलना में जनसंघ ने जो इन सब गुणों से ओतप्रोत है, दिल्ली में शानदार परिणाम दिखाये हैं। समय आ गया है कि देश में कांग्रेसजनों को अपदस्थ कर दें ताकि वे फुरसत से और

अपने ही आपसी झगड़े सुलझा सकें, और उनके स्थान पर जनता जनसंघ को अपनी सेवा करने का मौका दे।

बेरोजगारी

एक-एक करके चार पंचवर्षीय योजनाएं बेरोजगारी दूर करने के लिये बनाई गई किन्तु मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। बस यही स्थिति हमारी इन योजनाओं ने उत्पन्न की है। इस प्रदेश में आज लाखों पढ़े लिखे सक्षम युवक बेकार घूम रहे हैं इन बेकारों को काम देने के लिये जनसंघ एक सघन योजना बनायेगा। और साथ ही काम करने के अधिकार को मूल भूत अधिकारों में समावेश करवायेगा। और ऐसी योजना लागू करेगा कि प्रदेश के बेकारों को काम न मिलने पर उचित बेरोजगारी भत्ता मिल सकें।

महंगाई

कमर तोड़ महंगाई ने आम जनता को त्रस्त किया हुआ है, गत १० वर्षों में खुदरा मूल्यों में प्रतिवर्ष औसत ११% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में दामों के थोक भाव सूचक अंक में ६८% चीनी ३८% अनाज में १३.६% दूध के भावों में ११% अंको की वृद्धि हुई और इसका परिणाम है कि भूमिहीन कृषकों को नौकरी पेशाओं, एवं महंगाई मजदूरी लोगों के लिये जीवन यापन एक गम्भीर समस्या होगई है।

कांग्रेस का रिकार्ड एक ऐसी कहानी है जिनमें लम्बे चौड़े वायदे है किन्तु उपलब्धियां नगण्य हैं। योजनाएं खूब बनी है किन्तु उनकी क्रियान्विति असंतोषजनक है, नारे गगन भेदी है मगर कार्य खोखले हैं। पार्टी सिर्फ इस लिये बच निकली क्योंकि वह कूर बहुमत में थी। अपनी विकरालता के आधार पर कांग्रेस यह मानकर चली है कि यह जो चाहे करे जनता सब कुछ स्वीकार करेगी। अंकुश और संतुलन के अभाव में ही सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं और उसके वास्तविक हितों की बेफिक्री के साथ उपेक्षा करती रही है।

बिजली एवं सड़क

राजस्थान का विस्तृत भूभाग अभी सड़कों से सम्बद्ध नहीं है कई स्थान ऐसे हैं जहां पर साल में छः मास आने जाने के रास्ते एक दम बन्द

रहते हैं। जनसंघ २००० तक की आबादी वाले कस्बों को सड़कों से जोड़ेगा एवं बिजली पहुँचाने को प्राथमिकता देगा।

खेती और किसान

राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण जनसंघ कृषि की उन्नति और आधुनिक रीति से उसके विकास को प्राथमिकता देगा। ताकि यह प्रदेश खाद्यान्न की दृष्टि से देश के अन्य भागों के लिए अनाज भण्डार के रूप में बन सके जिससे हमारे प्रदेश के किसानों की दिशा में सुधार हो सके। इस हेतु जनसंघ निम्नलिखित कदम तत्काल उठायेगा।

(१) कृषि क्षेत्र में राजस्थान की अपनी विशेष स्थिति है। यहां ६४ प्रतिशत छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास ५ या १० एकड़ भूमि ही है। वह अभी भी पिछड़ा और आर्थिक दृष्टि से अधिक कमजोर है। कर्ज से ग्रसित ऐसे किसानों को जनसंघ बिना ब्याज ऋण देकर उनकी खेती के विकास के लिए सभी आधुनिक साधन जुटाएगा।

(२) गांव में निस्तार भूमि की समस्या बड़ी जटिल हो रही है। उसे हलचर किसान को निस्तार का हक दिलाएगा। पशुओं के लिए गोचर भूमि सुरक्षित कराई जायेगी।

(३) वर्तमान भूमि सीमा संबंधी कानून में कई खामियां है तथा अनेक प्रकार की अनावश्यक रियायतें प्रदान की गई है। जिनसे यह कानून ही अर्थहीन हो जाता है, इन अनावश्यक रियायतों को समाप्त कर दिया जायेगा।

(४) प्राकृतिक प्रकोप, ओला-वृष्टि, आग या आकस्मिक दुर्घटनाओं से किसान की सुरक्षा के लिए कृषि बीमा योजना लागू करेगा।

(५) वर्षानुवर्ग से काश्तकार किसानों की बेदखली रोक कर उनके नाम जमीनों को व्यवस्थापित करके उन्हें स्थाई पट्टे देने की व्यवस्था करेगा। अतिक्रमण व नामान्तरण के मामले शीघ्र निपटाने की व्यवस्था की जावेगी। इसके कारण भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जायेगा।

(६) सेवा सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देगा तथा उन्नत किस्म के बीज, बैल, खाद, कृषि यंत्र कीटनाशक दवाएं तथा कृषि के लिए अन्य आवश्यक साज-सामान किफायती दरों से उपलब्ध कराने तथा उन्हें कर्ज या उधार दिलाने की समुचित व्यवस्था करेगा।

(७) किसान को आत्म रक्षा एवं फसल की रक्षा के लिए उदारता पूर्वक शस्त्र लायसेन्स दिये जायेंगे। टोपीदार बन्दूक के लायसेन्स की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।

भूमि वितरण

राजस्थान में लाखों लोग ऐसे है जिनका प्रमुख धन्धा खेती है, परन्तु उनके पास भूमि नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खेती योग्य लाखों एकड़ भूमि राजस्व, जंगल व अन्य सरकारी विभागों के पास पड़ी है। इस भूमि के शीघ्र वितरण का काम विशाल पैमाने पर जनसंघ अपने हाथ में लेगा। ऐसी सारी भूमि को भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, पिछड़े वर्गों में विशेष रूप से हरिजन आदिवासियों में एक निश्चित अवधि के भीतर वितरित कर देगा।

(१) सैनिक या सैनिक परिवारों को भूमि:—

अभी हाल में हुए भारतीय पाक युद्ध में हमारे वीर जवान जो घायल हुए है या जो शारीरिक दृष्टि से बेकार हो गए है या जो शहीद हो गए हैं उन्हें और उनके परिवारों को उनके गुजारे लायक भूमि उपलब्ध कराने का विशेष कार्यक्रम अपने हाथ में लेगा।

(२) खेतिहर मजदूर:—

प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के हिसाब से निर्धारित करने के साथ ही उन्हें खेती के काम के अलावा अन्य काम उपलब्ध कराने के लिए छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग खोलने का काम अपने हाथ में लेगा।

उद्योग

औद्योगीकरण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जावेगा। नए-नए उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जावेगा ताकि प्रदेश में विकास की गति तेज हो सके। उद्योग धन्धे खोलने के लिए लायसेन्स देने में जो राजनैतिक पक्षपात एवं विलम्ब होता है उसे समाप्त कर उद्योग स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक योग्य, कुशल व सक्षम व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी। जहां कच्चा माल है वहां उन पर आधारित उद्योग धन्धे खोले जायेंगे। उद्योग खोलने वालों को जमीन, पानी,

बिजली तथा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग खोलने की स्वीकृति के बाद सारी सुविधायें निश्चित अवधि में उपलब्ध हो, यह व्यवस्था सरकार करेगी। प्रदेश के पिछड़े एवं उद्योग विहीन जिलों में नये उद्योग खुलें, इसके लिए विशेष सुविधायें—जैसे सस्ती दरों में भूमि, सस्ती बिजली, पानी एवं करों में रियायत प्रदान की जाएगी। सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना खोला जाएगा। प्रदेश ऊन, रोक फौसफेट नमक डेयरीफार्मिंग आदि कारखाने प्रारंभ किए जावेंगे।

(१) नौकरियों में प्राथमिकता:—

प्रदेश में खुले नये उद्योगों की नौकरियों में राजस्थान प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(२) कुटीर उद्योगों को बढ़ाना :—

शामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योगों को व्यापक किया जायेगा। बुनकरों को संरक्षण एवं हाथ करघा को बढ़ावा दिया जायेगा, मिल सूत बनाये तथा बुनकर बुनाई करें ऐसी व्यवस्था की जायगी ताकि लोगों को अधिकाधिक संख्या में ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिले। राजस्थान हस्तकला का विकास करने का व्यापक कार्यक्रम लिया जायेगा।

(३) परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा :—

राजस्थान के परम्परागत उद्योगों में से रंगाई, छपाई, काष्ठकला मूर्तिकला के उन्नत होने में जिन कारणों से कठिनाईयां है उन्हें दूर करके उनका विकास किया जायेगा।

अन्य परम्परागत उद्योग-बढ़ईगिरी, लोहारी, सुनारी, चर्मोद्योग आदि सभी का विकास किया जायेगा। इन सभी उद्योगों के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता दी जायेगी। उन्हें आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उत्पादित वस्तु के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी। गरीब कुम्हारों को अपना उद्योग एवं जीविका चलाने हेतु मिट्टी खोदने एवं दस हजार तक ईंट बनाने पर बिना रायल्टी के मिट्टी निकालने की भी छूट दी जावेगी।

यातायात-परिवहन

राजस्थान देश का दूसरे नम्बर पर अधिक क्षेत्रफल वाला विस्तृत प्रदेश है परन्तु यहां यातायात के साधनों का भारी अभाव है। रेल मार्गों की कमी है तथा बस यातायात भारी दुरावस्था व भ्रष्ट नीति का शिकार है। केन्द्र सरकार से नए रेल मार्ग प्राप्त करने में यह सरकार असफल सिद्ध हुई है। जनसंघ जहां प्रदेश में नये रेल मार्गों की स्थापना के लिए विशेष प्रयास करेगा, वहीं जिन जिलों में छोटी रेल लाईनें हैं उन्हें परिवर्तित कर बड़ी लाईन कराने का प्रयत्न किया जायेगा।

जनसंघ वनवासी क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों को रेलमार्गों से जोड़ने के लिए तथा वहां यातायात की सुविधायें बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठायेगा। बीकानेर से नागौर रेल द्वारा जोड़ने के लिए रेल लाईन डाली जायेगी।

न्याय व्यवस्था :—

प्रदेश की न्याय पद्धति में सुधार किया जायेगा। एक निर्धन व्यक्ति को भी बिना विलम्ब के अदालतों से न्याय सुलभ हो सके इस हेतु व्यवस्था की जावेगी तथा भूमि सम्बन्धी विवादों का शीघ्रता से निर्णय होकर जनता की कठिनाई दूर की जावेगी। इस हेतु विशेष राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था की जायेगी। न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

धारा १४५ की सुनवाई का अधिकार एस० डी० ओ० के बजाय न्यायिक अदालत को दिया जायेगा। हरिजनों, वनवासियों एवं गरीब वर्ग तथा इस कम आय वालों को न्याय प्राप्ति के लिए निशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता की व्यवस्था की जायेगी।

प्रशासन :

भ्रष्टाचार लाल फीताशाही, शिथिलता और अक्षमता प्रशासन में व्यापक पैमाने पर विद्यमान है। दलगत स्वार्थों से प्रेरित होकर दैनन्दिन प्रशासन में भारी मात्रा में अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। तुच्छ राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति की

लिप्सा यहां तक बढ़ गई है कि इनके लिये असामाजिक तत्वों का सहारा लेने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने में भी कोई संकोच नहीं दिखाई देता।

उच्च अधिकार सम्पन्न जाँच आयोग :—

भारतीय जनसंघ मंत्रियों, उच्च अधिकारियों और अन्य बड़े-बड़े व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग की नियुक्ति करेगा। जिला स्तर पर ऐसी समितियां गठित की जायेंगी जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की तत्काल एवं निश्चित समय में जांच कर उनका निराकरण कर सके। तहसील स्तर पर ऐसी जन परिषद् गठित की जायेगी जो जनता की शिकायतों की सुनवाई कर शीघ्र निर्णय कर सके। भ्रष्टाचार समिति में जन प्रतिनिधियों, निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लिया जायेगा।

शासकीय कर्मचारी :—

(१) प्रदेश के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को महगाई के सूचकांक से जोड़ा जायेगा। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी शासकीय स्तर पर मंहगाई भत्ता दिलाने के प्रयास किये जायेंगे जो कर्मचारी वर्षों से राज्य सरकार की सेवा में होने के बावजूद भी अस्थाई हैं, उन्हें स्थाई किया जावेगा। कैजुअल लेबर के रूप में काम करने वाले मजदूरों का वेतन एवं परिलाभ बढ़ा कर अन्य कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें भी उन्हें प्रदान की जायेगी। अनेक वर्षों से वर्क चार्ज कर्मचारियों के रूप में काम करने वालों को स्थाई सेवा में लेकर उनकी समस्या का हल करने का प्रयत्न भी किया जायेगा।

(२) प्रशासकीय कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए कौंसिल गठित कर वार्तातन्त्र को प्रभावशाली किया जायेगा, उसमें कर्मचारियों को समुचित प्रतिनिधित्व भी दिया जायेगा।

(३) पदोन्नति में निष्पक्षता:—शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति, तरक्की, तबादले तथा उन पर कार्य भार के सम्बन्ध में निश्चित नियम बना कर उन्हें ठीक से लागू किया जायेगा। इनमें हो रहे भ्रष्टाचार, धांधलों व पक्षपात को तथा तबादलों की आड़ में शासकीय कर्मचारियों

को परेशान करने के रवैये को समाप्त किया जायेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक लघु लोक सेवा आयोग का गठन किया जायेगा। पंचायत कर्मचारियों, पटवारी तथा अन्य छोटे कर्मचारियों को तुरन्त राहत दी जायेगी। विभागीय जांच के लिए समय की सीमा बांध दी जायेगी ताकि इन पर फैसले जल्दी हो सके।

(४) पेंशन:—पेंशन की दर को महगाई के सूचकांक के साथ जोड़ा जायेगा, जिससे महंगाई बढ़ने पर पेंशन बढ़ सके।

पेंशन राशि सेवा—निवृत्ति के समय मिल रहे वेतन के आधार पर निर्धारित की जायेगी। पेंशन प्रकरणों के निपटारे कई वर्षों तक न करने की वर्तमान अमानवीय लालफीताशाही को समाप्त कर कर्मचारियों को सेवा निवृत के साथ ही पेंशन मिले—इसकी व्यवस्था की जावेगी। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी पेंशन दिलाने की व्यवस्था की जावेगी तथा तीन महीने में पेंशन केस निपटाये जायेंगे।

(५) महिला कर्मचारी: महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें उनकी रुचि के रोजगार उपलब्ध हो सके—इसकी व्यवस्था की जायेगी। समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम का पालन होगा। महिला मजदूरी के कानून कड़ाई से लागू कर मालिकों को प्रेरित किया जायेगा कि वे श्रमजीवी महिलाओं के काम के घंटे, श्रम व्यवस्था, आवास सुविधा परिवहन व बाल सेवा की उचित व्यवस्था करें। शहरों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल कायम करने की व्यवस्था की जायेगी।

(६) मितव्यता और दक्षता:—कर्मचारियों के पूरे परिलाभ देते हुए प्रशासन के खर्चे में किफायत लाई जायेगी। फालतू खर्चे समाप्त किए जायेंगे दलगत या कुर्सीगत स्वार्थ के लिए वर्तमान सरकार ने बड़ी संख्या में जो कमेटियां गठित करके अनाप-शनाप खर्चे का बोझ शासन पर डाला है, उन कमेटियों को समाप्त किया जायेगा। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित की जायेगी और उसकी सेवाओं का विचार, उसके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी के आधार पर किया जायेगा। बाह्य आडम्बर पूर्ण खर्चों को समाप्त किया जायेगा।

टैक्सों का सरलीकरण

प्रदेश की जनता पर आज टैक्सों का भारी बोझ है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन टैक्सों में भारी बोझ सरकार की भारी करारोपण की दोषपूर्ण नीति के कारण ही कीमतों में वृद्धि, टैक्सों की चोरी तथा कालेधन को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे प्रान्त की सीमा देश के अन्य कई प्रदेशों से लगती है, जिनमें पृथक-पृथक कर प्रणाली हैं। इन्हें ध्यान में रख कर हमारी कर प्रणाली का निर्धारण न होने के कारण प्रान्त के कई जिलों के उद्योग व व्यापार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जनसंघ इन तथ्य को मद्देनजर रखते हुए करारोपण की वर्तमान व्यवस्था का पुनःनिरीक्षण करेगा। आय कम व खर्च अधिक वाले या अनावश्यक टैक्सों को समाप्त कर शेष टैक्सों की वसूली की व्यवस्था का सरलीकरण किया जायेगा।

महंगाई से राहत

जीवनोपयोगी वस्तुओं के दिनोंदिन बढ़ते हुए भावों से आज जन-जीवन त्रस्त और परेशान है। सरकार गरीबी हटाओ की बात करती है। परन्तु सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य मूल्य वृद्धि को रोकने में बुरी तरह असफल सिद्ध हुई है। करोड़ों गरीब उपभोक्ताओं को कम से कम न्यूनतम वस्त्र और खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलता रहे, इस दायित्व को भी सरकार निभा नहीं सकी है। बढ़ती हुई कीमतों का कारण सरकार की गलत अव्यवहारिक नीतियां हैं। वित्तीय अनुशासन का अभाव, मुद्रा स्फीति, सरकार ठाठ-बाठ पर अधिक खर्च, करों का असीमित बोझ तथा घाटे की अर्थव्यवस्था इसके प्रमुख कारण हैं। साथ ही वर्तमान सरकार मुनाफाखोरों, जमाखोरों, बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों सट्टाबाजों पर अपने दलीय स्वार्थ के कारण कठोर नियंत्रण इसलिए नहीं करती क्यों कि चुनाव के समय यही तत्व उनकी लाखों से मदद करते हैं। लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय मूल्यांकन सूचकांक १८५ के आसपास था तथा ६ माह बाद यह १६१.५० तक जा पहुँचा और निरन्तर वृद्धि पर ही है।

जनसंघ बढ़ती हुई, कीमतों को नियंत्रित करेगा जनता को जीवनोपयोगी वस्तुयें सस्ते भावों में उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करेगा इस हेतु वह:—

(१) सरकारी ठाठ-बाठ में वैलासिक एवं फुर्जूलखर्ची खर्चों को समाप्त कर सादगी को प्रोत्साहन देगा।

(२) करों के सुसंगठित ढांचों का निर्माण करेगा।

(३) घाटे की योजनाओं तथा अर्थव्यवस्था की समाप्ति करेगा।

(४) मुनाफाखोर, जमाखोर, सट्टेबाज तथा कीमतें बढ़ाने वाले समाजद्रोही तत्वों के खिलाफ कठोर नियंत्रण और कार्यवाही करेगा।

पूर्ण रोजगार के लिए स्वावलम्बी योजना

बहुमुखी, व्यापक, तथा स्वावलम्बी स्वदेशी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसका उद्देश्य होगा:—

पूर्ण रोजगार, लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं न्यूनतम जीवन स्तर की गारण्टी, श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग व प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को काम तथा प्रदेश के साधन व क्षमता के आधार पर अर्थव्यवस्था का सफल विकास। प्रदेश के पिछड़े व गरीब हिस्सों एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देकर ऐसे क्षेत्रों की पृथक योजना बनाई जायेगी ताकि प्रदेश में विद्यमान क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जा सके।

बेरोजगारी समस्या हल कराने के लिए जनसंघ व्यापक पैमाने पर निम्नलिखित कार्यक्रम अपने हाथ में लेगा:—

(१) शहरों व ग्रामों में मकान बनाने का विशाल कार्यक्रम, पीने के पानी की योजनायें, सड़कों के निर्माण की विस्तृत योजना, छोटे उद्योग व छोटी सिंचाई योजनाओं का जाल बिछाने, कुए व तालाब खोदने, गांवों तक बिजली पहुँचाने व पंचायत तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तैयार किए जायेंगे।

(२) कृषि, वन सम्पदा और खनिज पर आधारित उद्योगों का तेजी से जाल बिछाया जायेगा। शिक्षित व इन्जिनियरों की सहकारी समितियों को निर्माण कार्य के ठेके तथा अन्य कार्य दिये जायेंगे।

(३) युवकों की बेकारी दूर करने के लिए छुट्टियों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था के लिए उपक्रम हाथ में लिये जायेंगे जिससे युवा शक्ति को देश के निर्माण में लगाने का अवसर मिलेगा और इसमें उनमें उत्तरदायित्व वहन करते हुए स्वावलम्बी बनने की भावना का निर्माण होगा।

मजदूरों की स्थिति

जनसंघ इस सिद्धान्त का हामी है कि किसी भी उद्योग की जिम्मेदारी मालिक एवं मजदूरों दोनों पर बराबर होती है और उद्योग की सफलता के लिए दोनों ही समान भागीदार है। उद्योगों में शान्ति रहे, मजदूरों का शोषण न हो तथा भरपूर उत्पादन बढ़े—इस दृष्टि से जनसंघ निम्नलिखित कदम उठायेगा:—

(१) भारतीय जनसंघ श्रमिकों को उद्योग के प्रबन्ध व लाभ में साझेदार बनाने की योजना लागू करेगा।

(२) एक स्थायी वेतन बोर्ड गठित किया जायेगा जो प्रत्येक उद्योग में समय समय पर वेतनमान निश्चित करेगा। सरकारी उद्योगों में श्रम कानून अन्य उद्योगों के समान ही लागू होंगे।

(३) श्रमिकों की प्रतिनिधि यूनियन के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था कानून में संशोधन करके लागू की जायेगी।

(४) जनसंघ ठेके वाले मजदूरों के बोनस के अधिकार को भी स्वीकार करता है। उन श्रमिकों वेतन मण्डलों की सिफारिशों, जो ठण्डे बस्ते में है, उन्हें तुरन्त लागू किया जायेगा।

(५) असंगठित उद्योगों के मजदूरों जैसे बीड़ी बनाने वाले, पत्थर व मिट्टी तोड़ने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी फिर से निर्धारित की जायेगी।

(६) निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को स्थायी करने का प्रयास किया जायेगा। उनके लिए निर्माण कार्य के दौरान झोंपड़ियां बनाई जायेंगी। यातायात कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जायेगा।

(७) मजदूरों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी ताकि कुछ समय नौकरी कर लेने के बाद मजदूर को अकारण या छोटी मोटी बात पर एक दम नौकरी से हटाया नहीं जा सके।

(८) श्रम न्यायालय की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की जायेगी ताकि शीघ्र व सस्ता न्याय मिल सके। श्रमिकों के न्यायालय को श्रम विभाग से पृथक करके उच्च न्यायालय के अन्तर्गत लाया जायेगा।

(९) ग्रेच्युटी का विशेष कानून बनाया जायेगा। कुछ वर्ष नौकरी कर लेने के बाद मजदूर ग्रेच्युटी का हकदार माना जायेगा। उत्पादन बढ़ाने पर मजदूरों के प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि मिले इसकी व्यवस्था की जायेगी।

(१०) सूती मिलों की हालत भयंकर दुरावस्था में पहुँचने के पूर्व ही किसी स्थायी व्यवस्था द्वारा उसकी समय समय पर जांच की व्यवस्था की जायेगी ताकि उद्योग बन्द नहीं हो और मजदूरों को ठीक समय पर संरक्षण व सुरक्षा मिल जाये। इसके लिए कुशल ऑडिट व्यवस्था लागू की जायेगी।

(११) माल चढ़ाने व उतारने वाले हमालों की सुरक्षा के लिए उचित कानून बनाये जायेंगे।

(१२) खदान उद्योग के मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जायेगा। कोयला उद्योग के मजदूरों—खासकर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खदानों में ठेकेदारी में काम करने वाले मजदूरों की जो दयनीय अवस्था है उसके सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

वनवासी :—

वनवासी क्षेत्रों में वनवासियों की खेती के लिए भूमि का वितरण, सड़कों व छोटी सिंचाई योजनाओं के जाल बिछाने तथा शिक्षा प्रसार का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

वनवासियों को वनों के प्रबन्ध व समृद्धि में साझीदार बनाया जायेगा। वनों में मजदूरी के उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। छोटी वनोपज का सरकारीकरण समाप्त होगा ताकि वनवासी का शोषण को रोकने के साथ कर्ज से मुक्ति दिलाने के कार्यक्रम को तत्काल हाथ में लिया जायेगा।

जहां वे खेती करते हैं वह भूमि उसके नाम पर व्यवस्थापित की जायेगी। वनवासी क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योग अधिक मात्रा में खोले जायेंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। वनोपज पर उनको कुछ

अधिकार दिया जायेगा। उनके पारस्परिक अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। वनों में वन विभागीय नौकरियों में वनवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

हरिजन :—

जनसंघ छुआछूत, ऊंच-नीच और भेदभाव में विश्वास नहीं करता। कांग्रेस ने विगत वर्षों में हरिजनों की उन्नति के नाम पर हरिजनों की दुर्बलता का लाभ उठाया है। हरिजन उद्धार की बात महज दिखावा रह गयी है। कुछ तथाकथित नेतागण हरिजनों के ठेकेदार बनकर उनके नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे है और राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। जनसंघ इस स्थिति को समाप्त करके उन्हें सच्चे रूप में समाज में समानता का दर्जा दिलाने की व्यवस्था करेगा। उनमें स्वावलम्बन जगाकर स्वाभिमानपूर्ण जीवनयापन करने का सुअवसर प्रदान करेगा।

हरिजनों में खेती की भूमि वितरित की जायेगी। नौकरी के अलावा उद्योग धन्धों में भी उन्हें प्रोत्साहन देकर नये-नये उद्योग स्थापित कराये जायेंगे। हरिजनों की आर्थिक दुरावस्था को समाप्त कर शिक्षा प्रसार की योजनायें लागू की जायेंगी। ताकि उन्हें अन्य लोगो के समकक्ष लाया जा सके। समाज में विद्यमान विभिन्न पिछड़े एवं गरीब वर्गों को समृद्धि की ओर बढ़ाने हेतु सक्रिय कदम उठाये जायेंग।

पेयजल :—

कांग्रेस सरकार अपने २५ साल के कार्यकाल में राज्य में सबसे प्राथमिक आवश्यकता पीने का पानी उपलब्ध कराने में एकदम असमर्थ रही है। विशेषकर राजस्थान में जहा अकाल हर साल सर पर मण्डराता रहता है और पिछले साल के आगको अकाल में पीने का पानी के अभाव में कई लोगों की जानें गयी। जनसंघ इस समस्या की गम्भीरता को समझता है और इस बात का वायदा करता है कि सत्तारूढ होने पर इसके लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही करेगा। पांच साल के अन्दर सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षा :—

राज्य में आज तक राजस्थान सरकार ने शिक्षा के साथ भयंकर मजाक किया है। शिक्षा में बार-बार प्रयोग कर शिक्षा संस्थाओं को प्रयोग स्थल बना दिया है। राजस्थान शिक्षा में सबसे पिछड़ा राज्य है। जनसंघ शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन लायेगा।

(१) शिक्षा को राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरुप बनाया जावेगा।

(२) शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर "काम दिलाऊ" शिक्षा को प्रचलित किया जायेगा।

(३) निरक्षरता उन्मूलन करने का दृढ़ व्रत लेकर जनसंघ रात्रि शालायें प्रारम्भ करेगा। निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चालू की जायेगी। २००) रु० मासिक आय वाले परिवारों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क की जायेगी।

(४) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देकर सरकारी नियन्त्रण में लाया जायेगा।

अकाल का स्थाई निदान :—

राजस्थान में हजारों लोग पिछले २५ साल से कांग्रेसी दुःशासन में कालकवलित हुये हैं। जनसंघ अकाल के कारण एक व्यक्ति को अकाल मौत नहीं मरने देगा। अकाल की समस्या का स्थायी निदान निकाला जायेगा। सम्भावित अकालपीड़ित क्षेत्रों में अनाज के स्टाक बनाये जायेंगे एवं पीने के पानी के लिए नलकूप लगाये जायेंगे। एवं यथाशीघ्र राजस्थान नहर को पूरा कर इस क्षेत्र को विकसित कर इस समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कहा जावेगा।

रेगिस्तान :—

राजस्थान का रेगिस्तान हर साल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आगे बढ़ता हुआ यह विशाल भू-भाग को अपने जाल में फांस रहा है। सरकार ने इसको रोकने का किंचित मात्र भी प्रयास नहीं किया है। जनसंघ रेगिस्तान को रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। इसके लिए काफी मार्गो में पेड़ लगाये जायेंगे। भूमि का कटाव रोका जायेगा और इजराईल की तरह के टेक्नीकल ज्ञान का पूर्ण उपयोग एवं नये वैज्ञानिक अनुसंधान कर इस समस्या का समाधान निकाला जायेगा। एवं इसे हरा-भरा प्रदेश बनाया जावेगा।

राजस्थान नहर :—

राजस्थान नहर राजस्थान, के लिए संजीवनी है, उसके बिना इस विशाल भू-भाग को हम हरा-भरा नहीं देख सकते फिर मुर्झाये चेहरे नहीं मिलते अपितु, मुस्कराते चेहरे नजर आते, रेत के टीलों की जगह अनाज के ढ़ेर नजर आते परन्तु आज वह संजीवनी राजस्थान के लिए सुरक्षा का मुद्दा बनकर रह गयी है। यह नहर राज्य सरकार नहीं बना सकती अतः जनसंघ की यह मांग, कि इसे केन्द्र अपने हाथ में ले। जनसंघ सत्तारूढ होने पर राजस्थान नहर को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा और केन्द्र सरकार पर दबाव डालेगा कि जैसे नागार्जुन सागर आन्ध्रप्रदेश में,

हीराकुण्ड-दामोदरघाटी योजना बिहार में, रिहन्द बांध उत्तरप्रदेश में तथा अन्य योजनायें अन्य प्रान्तों में पूरी की है उसी प्रकार राजस्थान नहर भी पूरी की जाय और जनसंघ केन्द्र के इस सौतेले व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठा कर नहर को पूर्ण बनवायेगा और इसके लिए वह दृढ़ संकल्प है।

पिछड़ेपन व गरीबी से युद्ध :—

राजस्थान देश के पश्चिम भाग का विशाल प्रदेश है, भारत के हृदयस्थल में स्थित होने के बाद भी इस प्रदेश की एक तिहाई से अधिक जनता एवं आधे से अधिक क्षेत्र पिछड़ापन व गरीबी से ग्रस्त है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आधुनिक सभ्यता व प्रगति का प्रकाश आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के २४ वर्ष बाद भी नहीं पहुँचा है और जहां बहुत से वनवासी बन्धु आज भी तन ढकने कपड़ा पाने से वंचित हैं। जनता शोषण एवं गरीबी से ग्रस्त है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी छुआछूत का भारी विष व्याप्त है। आज भी हजारों बन्धु दो समय भरपेट भोजन भी नहीं पाते। अशिक्षा व अज्ञान के अन्धकार से आज भी प्रदेश के बहुत से क्षेत्र ग्रसित है। जनसंघ प्रान्त की इस दयनीय दुरावस्था को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

हमारा संकल्प समतायुक्त समाज की स्थापना :—

देश व समाज में प्रचलित प्रकार के शोष, ऊंच-नीच व भेदभावों को समाप्त करके जनसंघ समतायुक्त समाज की रचना करेगा जिसमें जन्म, जाति, वंश अथवा मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव, अन्याय और पक्षपात नहीं किया जावेगा। ऐसा समाज आर्थिक शोषण तथा विषमता से सर्वथा मुक्त होगा जिसमें सबको न्याय मिलेगा। सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे।

आईये प्रजातान्त्रिक क्रांति का सृजन करें :—

आज भी कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। किन्तु उसके बावजूद भी वह न तो इस प्रदेश को अच्छा शासन ही प्रदान कर सकी और न ही जनता की समस्याओं का हल करने में समर्थ हो पायी है। पंचम महा-निर्वाचन के रूप में इस प्रदेश की जनता को वह अवसर प्राप्त हुआ है जबकि वह इस निकम्मे शासन को समाप्त कर उसके स्थान पर नया दृष्टिकोण, नीतियां, और देश में अनुशासन, वह संगठित सम्पूर्ण राष्ट्र से ओत-प्रोत भारतीय जनसंघ को विजयी बनायें तो राज्य का भी कल्याण होगा और दिल्ली से जो एक पार्टी का शासन की तानाशाही का जो रगड़ा चला है वह भी समाप्त होगा। ज य भा र त

मुद्रक आत्मे प्रिन्टर्स, जयपुर